प्रकाशन के लिए अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगल पीठ

उपस्थित: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता एवं

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

विविध अपील क्रमांक. 1154/2005

अपीलकर्तागण

दावाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती तिजिया बाई, उम्र लगभग 27 वर्ष, पति स्वर्गीय कृष्ण कुमार माहेश्वरी।
2. दीपक कुमार, उम्र लगभग 9 वर्ष।
3. कुमारी हेमपुष्पा, उम्र लगभग 6 वर्ष।
4. कुमारी दयावती, उम्र लगभग 4 वर्ष।
5. हरिराम, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता पुरुषोत्तम माहेश्वरी।
6. श्रीमती जीरा बाई, पति हरिराम ।

(सभी निवासी ग्राम सेमारिया, थाना & तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.)। अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 कृष्ण कुमार माहेश्वरी के पिता हैं।)

बनाम

प्रत्यर्थी गण / प्रत्यर्थीगण

1. के. कोंडल राव, पिता वेंकटपैया , निवासी 61-22/1-5, आर.एल. नगर, विजयवाड़ा (अ.प्र) (ट्रक क्रमांक ए.एच.एच. 3268 का चालक)

2. ए.सांबा शिवा पिता राव, ए. चंद्र राया , निवासी डी.एल. 0-7-13 मायलवरम, जिला कृष्णा (अ.प्र) (ट्रक क्रमांक ए.एच.एच. 3268 का मालिक)

3. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विशाखापटनम (अ.प्र) शाखा कार्यालय: कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)। पॉलिसी क्रमांक 620800/31/02/09002, दिनांक 31.12.03 से 30.12.04 तक।

4.रामबरन वर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता रामजी वर्मा के, निवासी ग्राम डोंडे खुर्द, थाना मंदिर, जिला-रायपुर (छ.ग.)। (जीप क्रमांक सी.जी. 04-टी.ओ./0891 का चालक और मालिक)

5. द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक मदीना बिल्डिंग, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील ज्ञापन।</u>

....

उपस्थित: अपीलकर्ताओं के लिए श्री विवेक राठौर, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 और 4 के लिए कोई नहीं।

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के लिए श्री राज अवस्थी, विद्वान अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के लिए श्री श्रीकुमार अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री आनंद गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता ।

....

आदेश

(2 जुलाई, 2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया था:

1. .यह दावाकर्ताओं की अपील है, जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, एफ.टी.सी., रायपुर (संक्षेप में, 'अधिकरण') द्वारा दावा मामला संख्या 22/2004 में दिनांक 22.02.2005 को पारित किए गए प्रतिकार मे वृद्धि किए जाने के लिए है।

2. दवाकर्ता , मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की दुर्भाग्यशाली विधवा, नाबालिग बच्चों और माता-पिता ने, दिनांक 01.01.2004 को एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत 17,61,500 रुपये के प्रतिकार का दावा करते हुए एक दावा याचिका दायर की थी । दुर्घटना तब हुई जब कमांडर जीप जिसका पंजीकरण संख्या सी.जी. 04टी.ओ.891 था, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा था, को ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या ए.एच.एच. 3268 था, द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण कुमार माहेश्वरी को कई गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई । दावाकर्ताओं ने आगे यह तर्क दिया कि मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और वह एक पेंटर के रूप में प्रतिदिन 200 रुपये और प्रति माह 6,000 रुपये कमाते थे ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दुर्घटना कारित करने वाले यान ट्रक के चालक और मालिक ने दावे का विरोध नहीं किया और वे अधिकरण के समक्ष उनके विररूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में थे।

4. अपराध कारित करने वाले यान ट्रक के बीमाकर्ता ने दावे का विरोध किया और दावेदारों को प्रतिकार देने की अपनी दायित्व से इनकार किया, इस तर्क पर कि अपराध कारितकरने वाले यान ट्रक का चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता था और ट्रक बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था।

5. जीप के चालक और जीप के बीमाकर्ता ने भी अपनी दायित्व से इनकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दावाकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में अ.ख 1 तिजिया बाई और अ.ख 2 रोशन लाल का परीक्षण कराया है , जबकि ट्रक और जीप के बीमाकर्ता और जीप के चालक ने खंडन में किसी भी गवाह का परीक्षण नहीं कीया गया।

7. अधिकरण ने साक्ष्यों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने पर यह निर्धारित किया कि मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की मृत्यु दिनांक 01.01.2004 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी। दुर्घटना दुर्घटना कारित करने वाले यान ट्रक के चालक की लापरवाही से हुई। चूंकि दुर्घटना की तारीख को दुर्घटना कारितकरने वाला यान ट्रक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी थी।

8. अधिकरण ने मृतक की आय 1,320/- रुपये प्रति माह और 15,840/- रुपये प्रति वर्ष तय की। मृतक की व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का 1/3 भाग घटाकर, दावाकर्ताओं की निर्भरता प्रति वर्ष 10,840/- रुपये तय की गई। प्रति वर्ष 10,840 /-रुपये की वार्षिक निर्भरता को 16 के गुणक से गुणा करके, प्रतिकार 1,73,440/- रुपये निकाला गया। अन्य मदों के तहत 7,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि देकर, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की मृत्यु के लिए दावाकर्ताओं को कुल 1,80,440/- रुपये का प्रतिकार प्रदान किया। अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक 1,80,440/- रुपये के प्रतिकार की उपरोक्त राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री विवेक राठौर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया और उनकी आय को केवल 1,320/- रुपये प्रति माह और 15,840/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने में त्रुटि की है, और केवल 1,80,440/- रुपये का कम प्रतिकार दिया है। दूसरी ओर, अपराध कारितकरने वाले यान ट्रक के बीमाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज अवस्थी ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि यद्यपि दावाकर्ता उनके द्वारा बताई गई मृतक की आय को स्थापित नहीं कर सके, अधिकरण ने दावाकर्ताओं को 1,80,440/- रुपये की पर्याप्त राशि का प्रतिकार देने में काफी उदारता दिखाई है।

10.दूसरी ओर, अपराध कारित करने वाले यान (ट्रक) के बीमाकर्ता के प्रतिनिधि श्री राज अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने, इस आदेश का समर्थन किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि दावेदार मृतक की आय को अपने पक्ष में साबित नहीं कर सके, फिर भी अधिकरण ने दावेदारों को प्रतिकार के रूप में पर्याप्त राशि ₹1,80,440/- प्रदान करके काफी उदारता दिखाई है।

11. श्री श्रीकुमार अग्रवाल, प्रत्यर्थी संख्या 5 जीप के बीमाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता , जिसमें मृतक यात्रा कर रहा था, ने भी अधिनिर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की मृत्यु दिनांक 01.01.2004 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी, दुर्घटना अपराध कारितकरने वाले यान ट्रक के चालक की लापरवाही से हुई थी, और अपराध कारित करने वाले यान ट्रक का बीमाकर्ता दावाकर्ताओं को प्रतिकार देने के लिए उत्तरदायी था, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित हैं। इस निष्कर्ष की अपील में हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई हैं। इसके अलावा, ये निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं, क्योंकि प्रतिवादियों ने अधिनिर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए, हम अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं।

13. अब, हम जांच करेंगे कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा दिया गया 1,80,440/- रुपये का प्रतिकार उचित और सही प्रतिकार है।

14. मोटर दुर्घटना दावा मामले में, महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही होना चाहिए। यह न तो एक मामूली राशि होनी चाहिए और न ही एक बड़ा लाभ ।

15. दावाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, एक पेंटर के रूप में प्रति माह 6,000/- रुपये कमाते थे। उस संबंध में दिया गया साक्ष्य निर्णायक प्रकृति का नहीं था। इसलिए, हम मृतक की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को खारिज करने के लिए अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई गलती नहीं पाते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. फिर भी, अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई मृतक की आय 1,320/- रुपये प्रति माह और 15,840/- रुपये प्रति वर्ष निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

17. मृतक की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को खारिज करते हुए, अधिकरण को मोटर यान अधिनियम की धारा 163-अ के तहत दूसरी अनुसूची में निर्धारित अनुमानित आय के आधार पर मृतक की आय का आकलन करना चाहिए था।

18. 1994 में दूसरी अनुसूची में 15,000/- रुपये की अनुमानित आय निर्धारित की गई थी। वर्तमान मामले में दुर्घटना, जिसमें मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की जान चली गई, वर्ष 2004 में हुई। यदि 1994 और 2004 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो 1994 में निर्धारित 15,000/- रुपये की

अनुमानित आय निश्चित रूप से 2004 में 30,000/- रुपये हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय को प्रति वर्ष 30,000/- रुपये मानकर प्रतिकार की फिर से गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

19. 30,000/- रुपये में से मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 भाग घटाकर, दावाकर्ताओं की निर्भरता प्रति वर्ष 20,000/- रुपये तय की गई है।

20. यह देखते हुए कि मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और दावा याचिका में उनकी विधवा श्रीमती तिजिया बाई की उम्र 27 वर्ष बताई गई है, हमारा मानना है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कल्पना और अन्य, 2007 एसीजे 825 में प्रकाशित किए गए शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 13 का गुणक वर्तमान मामले में उचित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रति वर्ष 20,000/- रुपये की वार्षिक निर्भरता को 13 के गुणक से गुणा करने से , प्रतिकार 2,60,000/- रुपये निकलता है। दावाकर्ता आगे अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 5,000 रुपये, संपत्ति के नुकसान के लिए 5,000 रुपये और विधवा को संसर्ग की हानी के लिए 5,000 रुपये प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता मोटर दुर्घटना में मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की मृत्यु के लिए प्रतिकार के रूप में कुल 2,75,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

22. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस अवधि के लिए दावाकर्ता प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, उस अवधि के बारे में किसी भी संभावित विवाद से बचने के

लिए, इस अपील में ही प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि निर्धारित की जा सकती है।

23. वर्तमान मामले में दुर्घटना, जिसमें मृतक कृष्ण कुमार माहेश्वरी की जान चली गई, वर्ष 2004 में हुई। दावाकर्ताओं द्वारा दावा याचिका वर्ष 2004 में दायर की गई थी। दोषपूर्ण अधिनिर्णय वर्ष 2005 में पारित किया गया था। और वर्तमान अपील को वर्ष 2009 में अंतिम रूप से तय किया जा रहा है। दावा याचिका और वर्तमान अपील के निराकरण में हुए विलंब सहित सभी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में देरी के लिए केवल बीमा कंपनी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, हम 94,560/- रुपये के प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि 10,440/- रुपये निर्धारित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं/दावाकर्ताओं द्वारा प्रतिकार की वृद्धि के लिए दायर की गई अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अधिकरण द्वारा दिए गए 1,80,440/- रुपये के प्रतिकार को 2,75,000/- रुपये तक बढ़ाया जाता है, जिसमें 94,560/- रुपये के प्रतिकार की बढ़ी हुई राशि पर 10,440/- रुपये की ब्याज की अतिरिक्त निर्धारित राशि भी शामिल है।

25. प्रत्यर्थी संख्या 3 द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपराध कारित करने वाले यान ट्रक के बीमाकर्ता, को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष कुल 1,05,000/-रुपये (बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि के 94,560/- रुपये + बढ़ी हुई प्रतिकार की राशि के 94,560/- रुपये पर 10,440/- रुपये

की निर्धारित ब्याज की राशि) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

हस्ताक्षरित/-	**हस्ताक्षरित/-**
मुख्य न्यायाधीश	**सुनील कुमार सिन्हा**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ......Uday Singh